क्रमांक 3323015 / छ.ग. / 2012 / पार्ट
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
शिवनाथ–भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19,
अटल नगर, नवा रायपुर जिला–रायपुर

दिनांक / 10 / 2020

–:: आदेश ::–

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 3488 / 2738 / 31 / स्था. / 2013 दिनांक 12.10.2017 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा दिनांक 25.07.2019 को तृतीय श्रेणी (अकार्यपालिक) बांध निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाकर, परीक्षा परिणाम में जारी विज्ञप्ति में दी गई कंडिकाओं के अनुरूप व्यापम के पत्र क्रमांक व्यापम / 2019 / 2775 दिनांक 02.12.2019 द्वारा प्रेषित परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची अनुसार काउंसिलिंग उपरांत विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 2284 / 2738 / 31 / स्था. / 2013 दिनांक 30.09.2020 द्वारा नियुक्ति हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के परिपालन में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी (अकार्यपालिक) बांध निरीक्षक के पद पर वेतनमान 9300–34800 / – + ग्रेड वेतन 4200 / – (छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम–2017 अनुसूची–1 वेतन मैट्रिक्स लेवल–08, 35400–112400) प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित शर्तो पर नियुक्त किया जाकर, उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालयों में पदस्थ किया जाता है :–

स. क्र.	अभ्यार्थी का नाम	माता / पिता / पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	Overall Rank	Cat. Rank	कार्यालय जहॉ पदस्थ किया जाता है।
1	2	3	4	5	6			
1	भोज कुमार	बाबूलाल	ग्राम–साराडीह, पोस्ट–सकराली, तह. –डभरा जिला–जांजगीर–चांपा पिन–495688	अनारक्षित मुक्त वर्ग (अ.पि.व.)	18.05.95	1	1	कार्यालय मुख्य अभियंता, माहनदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर
2	किशन लाल	मंशा राम	ग्राम–कुरमातराई पोस्ट–देमार, तहसील +जिला–धमतरी (छ.ग.)	अ.पि.व.	23.07. 92	3	2	कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर
3	दीपक कुमार	रामचरन सिंह	6 नं. दफाई वार्ड नं. –17 हल्दीबाड़ी, चिरमिरी जिला–कोरिया (छ.ग.) पिन. नं. 497451	अ.ज.जा.	20.12.93	28	1	कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर

2 / – किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तिकर्ता को देकर या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को देकर छत्तीसगढ़ सेवा (अस्थाई तथा अर्धस्थाई) नियम 60 के उपनियम 12 के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते है तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम न हो देना होगा।

3/— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जाएगा।

4/— अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थता प्रमाण—पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5/— पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्र, स्थाई जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण—पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति आयोग की उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति 01 माह के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6/— चयनित अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

7/— पुलिस अधीक्षक से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रमाण—पत्र में विपरीत टीप/अपराधिक गतिविधिया पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी।

8/— वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980/सी—761/वि/नि/चार/4 दिनांक 27.02.2004 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थी के लिए नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।

9/— अभ्यर्थी को पदस्थापना कार्यालय में नियुक्ति आदेश के 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।

10/— कार्यग्रहण करने के तुरंत पश्चात् अभ्यर्थी को अस्थाई घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।

11/— किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं दसवीं के अंक सूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो या जन्म प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

12/— उपरोक्त बांध निरीक्षको के लिए इस नियुक्ति आदेश के दिनांक से दो वर्ष की अवधि परीविक्षा अवधि होगी।

13/— कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

14/— बांध निरीक्षक के पद पर वरिष्ठता विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन सूची के अनुसार होगी।

15/— आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण—पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीद्वार, बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किए जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से स्थाई जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 13—14/09/आ.प्र./1/3 दिनांक 29.11.2012 में दिये गये निर्देशानुसार अजा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत, अजजा के लिए 32 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है तथा यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगी।

हस्ता./—

(जयन्त पवार)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्र. 3323015 / छ.ग. / 2012 / पार्ट / 9322 रायपुर, दिनांक 20/10/2020

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन, संसदीय कार्य, कृषि विकास किसान कल्याण जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछलीपालन, आयाकट छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
4. मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
5. मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर।
6. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्। कृपया विभागीय वेबसाईट में अपलोड करें।
7. संबंधित अभ्यर्थी (पंजीकृत डाक से) ....

....

पंजीकृत डाक से

....

पैरा 02 स.क्र. 03 से 05 के लिए

2/– कृपया अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि संबंधी एवं अन्य मूल प्रमाण–पत्रो की जांच के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जावे।

की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

MIS Cell
प्रविष्ट करें।
20/10/2020

(जयन्त पवार)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर अटल नगर